



2026:AHC:21812

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 2483, वर्ष 2025

किशन सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : महेन्द्र कुमार यादव
प्रतिवादी (यों) के अधिवक्ता : सी.एस.सी., सुनील कुमार सिंह

न्यायालय संख्या.- 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. अर्जुन सिंह और पांच अन्य (प्रस्तावित प्रतिवादी संख्या 5 से 10) की ओर से पक्षकार बनाने का आवेदन दिनांकित 13.1.2026 को अभिलेख पर लिया जाता है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार यादव, अर्जुन सिंह और 5 अन्य की ओर से पक्षकार आवेदन दायर करने वाले श्री हरीश यादव, राज्य-प्रतिवादियों के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री ओम आनंद और गांव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार सिंह को सुना गया।
3. तत्काल जनहित याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:-
 - (i) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को निर्देशित किया जाए कि वे ग्राम जुनेदपुर, परगना और तहसील सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर में स्थित भूमि गाटा संख्या 9, 24, 25, 317, 319, 316, 340, 352, 358, 364, 381, 385, 386, 393, 394, 415, 416 खसरा संख्या 392, 391, 392, 515, 396, 393, 497, 526, 524, 447, 449, 533, 399, 905, 480, 608, 517, 534, 365, 388, 516 को राज्य सरकार में निहित करें और अधीक्षण, रोकथाम, प्रबंधन और नियंत्रण के प्रयोजनों के लिए भूमि को ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण को सौंपें।
 - (ii) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को निर्देशित किया जाए कि वे याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए प्रत्यावेदन दिनांक

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



26.08.2017 और **09.02.2018** को इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित निश्चित समय सीमा के भीतर तय करें।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि संबंधित भूखंड प्रारंभ में अभिलेखों में चरागाह भूमि के रूप में दर्ज थे और कुछ व्यक्तियों ने उस भूमि के संबंध में, जो चरागाह भूमि के रूप में दर्ज थी, अपने पक्ष में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 229-बी के तहत घोषणा प्राप्त कर ली है। उन्होंने निवेदन किया कि अधिकारियों को मामले की जाँच करने और संबंधित भूखंड को चरागाह भूमि के रूप में दर्ज करने के लिए उचित कदम उठाने हेतु निर्देशित किया जाए। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि भूखंड की प्रविष्टि में सुधार के लिए याचिकाकर्ता की ओर से प्रत्यावेदन दायर किया गया है, लेकिन अधिकारियों द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है।

5. प्रस्तावित प्रतिवादी संख्या 5 से 10 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरीश यादव ने तर्क दिया कि अतर सिंह एवं अन्य द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 229-बी के तहत दायर वाद को विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय एवं आज्ञाप्ति दिनांक 30.3.1998 के माध्यम से आज्ञापित किया गया था। उन्होंने आगे यह भी कहा कि यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 76 के तहत चल रही कार्यवाही में, 24.5.2017 के आदेश द्वारा अर्जुन सिंह और अन्य लोगों को 'अहस्तांतरणीय अधिकार वाले भूमिधर' से बदलकर 'हस्तांतरणीय अधिकार वाले भूमिधर' के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया गया था; अतः, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 229-बी के तहत पारित निर्णय और आज्ञाप्ति, तथा यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 76 के तहत पारित आदेश को रद्द करवाने के लिए कोई जनहित याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि वे निर्णय, आज्ञाप्ति और आदेश अब अंतिम रूप ले चुके हैं।

6. मैंने याचिकाकर्ता और प्रस्तावित प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है, और अभिलेख का अवलोकन किया है।

7. इस तथ्य को लेकर कोई विवाद नहीं है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 229-बी के तहत घोषणा, संबंधित प्लॉट के संबंध में राजस्व न्यायालय द्वारा प्रदान की गई थी। इस तथ्य को लेकर भी कोई विवाद नहीं है कि वर्ष 2017 में अर्जुन सिंह और अन्य को 'हस्तांतरणीय अधिकार वाले भूमिधर' के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया गया था, जबकि वे पहले 'गैर-हस्तांतरणीय अधिकार वाले भूमिधर' थे; और यह आदेश अब अंतिम रूप ले चुका है।



8. चूँकि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 229-बी के तहत पारित निर्णय और आज्ञा, और साथ ही उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 76 के तहत विचाराधीन प्लॉट के संबंध में पारित आदेश अब अंतिम रूप ले चुके हैं, इसलिए उस प्लॉट की प्रविष्टि को ठीक करने के लिए कोई जनहित याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 229-बी के तहत दायर मुकदमे में पहले ही घोषणा प्रदान की जा चुकी है।

9. इस मामले में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

10. अतः, प्रस्तुत जनहित याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

30 जनवरी 2026

पीएस*